Election 06/08/2026

'एक देश, एक चुनाव' पर सहमति नहीं बन पा रही

(1)

'एक देश, एक चुनाव' – यानी कि लोकसभा के साथ विधानसभाओं के चुनाव कराने से सम्बन्धित बिलों पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जे.पी.सी.) का कार्यकाल फिर बढ़ा दिया गया।

अभी चल रहे संसद के मानसून सत्र में जे पी सी अध्यक्ष पी.पी. चौधरी ने इसका कार्यकाल शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव लोक सभा में रखा, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी। संसद का यह पांचवां सत्र है, जिसमें संयुक्त संसदीय समिति की कार्यकाल रिपोर्ट सौंपने की डेडलाइन बढ़ायी गयी है। हर सत्र के बीच में जे पी सी अध्यक्ष इसका कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव भी रखते हैं कि उनकी संसदीय सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन कार्यवाही रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। वर्ष 2025 के बजट सत्र से यह सिलसिला चला आ रहा है और अभी पांचवीं बार डेडलाइन बढ़ायी गयी है।

सदन में इसका कोई कारण नहीं बताया जाता, न ही कोई सदस्य इस सम्बन्ध में सवाल उठाते हैं। जे पी सी का विभिन्न राज्यों का दौरा और राज्य सरकारों, विधान सभा अध्यक्षों से, गुणी व्यक्तियों तथा देश भर के सभी तबके के लोगों से विचार-विमर्श जारी है। इस सम्बन्ध में जे पी सी अध्यक्ष पी. पी. चौधरी भी कई बयान इस दौरे के क्रम में देते हैं कि 2029 के लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ होने हैं। उनके अनुसार विचार-विमर्श पूरा होनेवाला है और न्यायविद लोग 'एक देश, एक चुनाव' के पक्ष में हैं।

इसके लिए गठित संविधान संशोधन बिलों पर संयुक्त संसदीय समिति (जे पी सी), 2024 के शीतकालीन सत्र के समय से ही विचार कर रही है, जब ये बिल संसद में पेश किया गया। ये बिल हैं — संविधान (129वां संशोधन) बिल, 2024 और संघ शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2024। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति 2024 लोक सभा चुनाव ठीक होने से कुछ महीने पहले सितंबर, 2023 में गठित की गयी, जिसने मार्च, 2024 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक देश एक चुनाव' आइडिया के अनुसार 2029 में लोक सभा और विधान सभा चुनाव साथ-साथ कराने की योजना को ध्यान में रखकर रामनाथ कोविंद समिति ने रिपोर्ट तैयार की। केंद्र सरकार ने रिपोर्ट को स्वीकार कर ली मगर इसके लिए संविधान संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास नहीं हो पाया। (17/12/2024 को संसद में रखे बिल पेश करते ही सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा और इस पर आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित की गयी। इस समिति में दोनों सदनों से सभी दलों के 39 सदस्य हैं। इनमें से कोई भी प्रश्न के उत्तर या बाहर इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बोलते। दिसंबर, 2024 में संसद के शीतकालीन सत्र में बताया गया कि जेपीसी 2025 बजट सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन रिपोर्ट सौंपेगी। 25 मार्च 2025 को बजट सत्र के बीच में अध्यक्ष पी. पी. चौधरी ने संसद के मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा।

जाहिर है कि इस विधेयक के जरिए सरकार सुरक्षा आधार जेपीसी में सत्तापक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच संविधान संशोधन बिलों पर सहमति न होना है। इसलिए जेपीसी की अवधि बढ़ाने प्रस्ताव अध्यक्ष ने रखते ही इसे ध्वनिमत से पास होता है, मानो सत्तापक्ष भी इसके लिए तैयार बैठा हो।

रामनाथ कोविंद समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि लोक सभा के साथ सभी विधान सभाओं के चुनाव संपन्न होने के 100 दिनों के अंदर पंचायतों, नगरपालिकाओं, नगर निगमों के चुनाव कराए जाएं। ऐसा इन्होंने सुरक्षा और साधन संबंधी इंतजाम को ध्यान में रखकर सुझाव दिया ताकि चुनावकर्मियों तथा सुरक्षा बलों की तैनाती में सहूलियत हो। कोविंद समिति के अनुसार 'एक देश, एक चुनाव' प्रस्ताव पर सहमति बनाने के लिए 65 बैठकों के दौरान 47 राजनीतिक दलों से राय ली गयी। इनमें से 32 दल इस प्रस्ताव के समर्थक और 15 विरोधी थे। इस जानकारी को सही मानें तो 15 विपक्षी दलों में कइयों की विभिन्न राज्यों में सरकारें थीं, जब कोविंद समिति विचार-विमर्श कर रही थी।

2024 लोक सभा चुनाव परिणाम भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के अनुकूल नहीं आया। कांग्रेस 2014 और 2019 आम चुनाव में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के बावजूद इतनी सीटें नहीं जीत पायी कि लोक सभा में कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा मिले। वो कांग्रेस और उसके इंडिया गठजोड़ सहयोगियों को 2024 में इतनी बड़ी संख्या में सीटें मिलीं कि विपक्ष की सहमति के बगैर सरकार लोक सभा में कोई बिल पास नहीं करा सकती।

(1)

कांग्रेस खुद ने भी 'एक देश एक चुनाव' प्रस्ताव को संविधान के बुनियादी ढांचे और देश की संघीय व्यवस्था के खिलाफ बता रही है। 'इंडिया गठजोड़' के घटकदलों के भी विरोध का यही स्वर है। केंद्र में सत्तारूढ़ (एनडीए) राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ को साथ लेकर भी भाजपा के पास 'एक देश एक चुनाव' संशोधन बिलों को पास कराने के लिए जरूरी दो तिहाई बहुमत जुटाना मुश्किल है।

इस वर्ष अप्रैल-मई में हुए पांच विधानसभाओं के चुनाव परिणाम भाजपा के लिए उत्साहवर्धक था और झटका भी। पश्चिम बंगाल में भाजपा पहली बार सत्ता में आयी और 15 साल से काबिज तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गयी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी 'एक देश, एक चुनाव' का कांग्रेस की ही तरह शुरू से विरोध करती रही हैं। हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में फूट से पार्टी छोड़नेवाले 20 लोकसभा सदस्यों ने खुद को एक छोटी पार्टी के बैनर तले साथ भाजपा गठजोड़ का हिस्सा बनाया है। महाराष्ट्र में शिवसेना [illegible] भाजपा के साथ सत्ता गठजोड़ में शामिल हुए 6 लोकसभा सदस्यों को भाजपा समर्थक गुट के रूप में मान्यता देने के लोकसभा स्पीकर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह सब जोड़-तोड़ भाजपा लोकसभा में लंबित संशोधन बिल पास कराने को समर्थन जुटाने के लिए कर रही है। आम आदमी पार्टी से निष्कासित सांसद भाजपा में शामिल हुए [illegible] एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर ऐसा दल-बदल करने/कराने की ऐसी प्रवृत्ति पर रोक लगाने में [illegible] का आग्रह किया है, जिससे सदन की सदस्यता समाप्त न हो।

ओडिशा में भी भाजपा 2024 से सत्ता में है। पांच लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने 'एक देश एक चुनाव' पर स्पष्ट राय नहीं दी।

2026 में पश्चिम बंगाल के साथ असम, केरलम्, तमिलनाडु, पुडुचेरी विधानसभा चुनावों का परिणाम भी मिला-जुला रहा। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में लौटी। लेकिन केरलम् और तमिलनाडु विधानसभाओं में भाजपा का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर रहा।

2027 में उत्तरप्रदेश, ~~[illegible]~~ पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर में चुनाव होना है। फिर 2028 में भी कुछ राज्यों के चुनाव होंगे। 2029 में लोकसभा के साथ चुनाव कराने के लिए इन राज्यों की विधानसभाओं को भंग करना होगा। यह भी संभव है, जब संविधान संशोधन करके सरकार चुनाव आयोग को इतना अधिकार दे।

संविधान की धारा 83 और 85 संसद के कार्यकाल और भंग करने से सम्बन्धित है, जिसके लिए राज्यों की मंजूरी नहीं चाहिए। धारा 172 और 174 राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल बढ़ाने भंग करने तथा धारा 356 का इस्तेमाल करके राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से जुड़ा है। मगर इसके सम्बन्धित संविधान संशोधन के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत चाहिए।

रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों — पंचायत, नगर निगम, नगरपालिकाओं के कार्यकाल और चुनाव के लिए राज्यों की मंजूरी चाहिए। ~~(ऐसे इस बात पर निर्भर है कि 2029 में लोकसभा चुनाव के समय या उसके पहले किन राज्यों में कौन पार्टी सत्ता में रहती है।)~~

अभी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक और संवैधानिक विवादों में घिरे चुनाव आयोग पर अभी विपक्षी दल भाजपा के कथित एजेंडे के अनुरूप काम करने के आरोप लगा रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग राज्य सरकारों की सहमति के बिना आगे कोई कदम उठाएगा, इसकी संभावना नहीं लगती।

'एक देश, एक चुनाव' पर राजनीतिक के अलावा वैधानिक अड़चनें भी हैं। यह सिर्फ सत्तापक्ष और विपक्ष के आपसी मतभेद का मामला नहीं है। एक साथ चुनाव पर विधि आयोगों के अलग-अलग समयों में अलग-अलग राय रही है। भारत के रिटायर प्रधान न्यायाधीशों ने जे पी सी के सामने चुनाव आयोग के अधिकारों में कटौती करने की राय दी है और मौजूदा संवैधानिक ढांचे में 'एक देश, एक चुनाव' को अव्यावहारिक बताया है। चुनाव आयोग की भी समय के हिसाब से अलग-अलग राय रही है। 'एक देश, एक चुनाव' संशोधन बिलों में चुनाव आयोग को अपार अधिकार देने का प्रावधान है।

पूर्व सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राज्य सभा सदस्य के रूप में जे पी सी को 5 मार्च, 2025 में चेताया कि लोक सभा और विधान सभाओं का चुनाव साथ कराने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं दिया जाना चाहिए। रिटायर प्रधान न्यायाधीश यू यू ललित, डी. वाई. चन्द्रचूड़, संजीव खन्ना और जे पी सी के कई संसद सदस्यों को भी सितंबर, 2025 में यही सुझाव दिया।

मतदाता सूची पुनरीक्षण विवाद के संदर्भ चुनाव आयोग अपने वर्तमान संवैधानिक अधिकार की सुप्रीम कोर्ट को बार-बार आश्वस्त नहीं कर पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट यह मानने को तैयार नहीं है कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची पुनरीक्षण के क्रम में किसी मतदाता की नागरिकता सुनिश्चित करने का भी अधिकार है। राजनीतिक दलों ने देश की संघीय व्यवस्था और राज्यों के मामले में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है।

1999 के बाद से लोक सभा चुनाव तो नियमित पांच साल पर हो रहे हैं, मगर कुछ-कुछ राज्य विधान सभाओं के चुनाव हर वर्ष होते हैं। किसी दल के सत्ता में बरकरार रहने या सत्ता से हटने का क्रम चल रहा है। अभी जहां तक संविधान संशोधनों को राज्यों की मंजूरी की बात है, तो इस बात पर निर्भर है कि 2029 लोक सभा चुनाव करीब आने तक किस राज्य में किस दल की सरकार बनती है और किसकी गिरती है।

लोक सभा और विधान सभा चुनावों के मुद्दे अलग-अलग होते हैं। स्थानीय निकाय चुनावों में स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं और प्रायः राज्य सरकारें ये चुनाव टालती रहती हैं। कई राज्यों में हाईकोर्ट में मामला जाने पर चुनाव होते हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकारें नगरपालिकाओं के चुनाव का यह अधिकार चुनाव आयोग को देनेवाले संविधान संशोधन को मंजूरी देंगी, इसकी उम्मीद कम लगती है। अभी कहीं-कहीं नयी पार्टी सत्ता में आ रही है, जिनका रुझान तय नहीं है।

कराएगा के लिए तमिलनाडु, जहां नयी पार्टी TVK (टीवीके)
नेता जोसेफ सी. विजय-मुरुद को 2026 में स्वयंद मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस
उनकी समर्थक हो गयी। नरेंद्र मोदी 2014 में पहली
बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही 'एक देश एक चुनाव' पर देश
में चर्चा करने पर जोर दे रहे हैं, यदि 1967 से पहले वाली
स्थिति वापस आए जब लोकसभा के साथ विधानसभाओं के
चुनाव हो रहे थे। लेकिन इसमें भाजपा-शासित राज्यों की
सरकारों ने भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी। चुनाव
आयोग ने इसके लिए आवश्यक संविधान संशोधन करके
सरकार से वो अधिकार देने कहा, लेकिन केन्द्र यह संशोधन बिल
संसद से पास नहीं करा सका है। सितंबर, 2024 में चुनाव आयोग
ने रामनाथ कोविंद समिति और विधि आयोग को बताया कि
संविधान संशोधन के अलावे भी विस्तृत व्यय होंगे।
इसके लिए बड़े पैमाने पर ईवीएम EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन)
और वीवीपीएटी (VVPAT) (वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) खरीदनी
होंगी, जिसकी अनुमानित लागत करीब 9,284.15 करोड़।
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार के अनुसार 400-500 से ज्यादा अतिरिक्त सुरक्षा
बल कंपनियों की जरूरत होगी, जिनकी एक साथ चुनाव
में यहां से वहां तैनाती कठिन होगी। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान 10.48
लाख बूथ बनाए गए, जिनमें एक करोड़ चुनावकर्मी और
सुरक्षाकर्मी लगाए गए। अगर विधानसभा चुनाव साथ कराए
गए तो इनकी संख्या बढ़ेगी। चुनावकर्मियों की जरूरत रहती है,
स्कूल शिक्षकों को लगाना पड़ता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित
होती है।

लॉजिस्टिक्स संबंधी सिफारिशों का जिक्र करते हुए CEC ने कहा कि 2029 में एक-साथ चुनाव व्यवस्था लागू करने के लिए 53.76 लाख बैलेट यूनिट और इ की एम की 38.67 लाख कंट्रोल यूनिट खरीदने के अतिरिक्त इन मशीनों के स्टोरेज व वेयरहाउसिंग लागत भी बढ़ेगी। 2015 और 2023 में भी चुनाव आयोग ने केंद्रीय कार्मिक, जन शिकायत, विधि और न्याय मंत्रालय से संबद्ध स्थायी संसदीय समिति के सामने अपना मत-पत्र रखा था।

लेकिन 2022 में CEC (मुख्य चुनाव आयुक्त) सुशील चंद्रा ने कहा कि चुनाव आयोग एक साथ चुनाव कराने में सक्षम है, लेकिन संविधान संशोधन की जरूरत है। वर्तमान CEC ज्ञानेश कुमार ने भी यही मुद्दा उठाया है।

अभी 23वें विधि आयोग की भावी केंद्रीय कानून मंत्रालय वाली नीति इस संशोधन से संविधान के संघीय ढांचे पर कोई आंच नहीं आएगी। 2022 और 2018 में विधि आयोग ने एक साथ चुनाव के विचार रखे थे। 2029 में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम विधान सभाओं को तो फर्क नहीं पड़ेगा, 2024 लोक सभा के साथ जिनके चुनाव हुए। बाकी विधान सभाओं का भविष्य संशोधन से तय होगा। यह बात भी याद रखने की है कि 2022 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधान सभाओं का कार्यकाल साथ-साथ होने के बावजूद चुनाव आयोग एक साथ चुनाव नहीं करा पाया। 2024 में जम्मू कश्मीर विधान सभा का, जबकि संशोधन की जरूरत नहीं थी, चुनाव लोक सभा के साथ नहीं करा पाया, सुरक्षा कारणों से। प्रो. गोपालन ने तब तर्क दिए कि वे एक साथ चुनाव नहीं करा सकते, जैसा कि श्री एस.वाई. कुरैशी धनीक कुमार ने सितंबर, 2024 में बताया।

Date.

dnbt. regnews @ timesgroup. com
rahul. ayodhya @ gmail. com
(2) hemdharsharma @ gmail. com
(3) haribhoomi @ gmail. com
(4) editorial @ sanmarg. in
(5) dainikpurvoday @ gmail. com
(6) delhi @ prabhatkhabar. in
(9) news. jaipur @ dnavjyoti. com
(10) Mobile No. — 6393076351 (whatsapp.)